



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

सं.: F-19/18/1/2023/A/cs.6(AuditFees)

दिनांक:- 10.09.2025

परिपत्र

विषय: सीएजी लेखापरीक्षा शुल्क बिलों के निपटान के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन

सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदन दिया है कि, अब से, सीएजी ऑडिट शुल्क बिलों का निपटान सीधे संबंधित लेखा इकाइयों द्वारा किया जाएगा ताकि समय पर भुगतान और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

तदनुसार, निम्नलिखित दिशानिर्देश तुरंत लागू होंगे:

1. शक्तियों का प्रत्यायोजन

- सीएजी लेखा परीक्षा शुल्क के लिए प्रक्रिया और भुगतान करने का अधिकार एतद्द्वारा संबंधित लेखा इकाइयों के प्रमुखों को प्रत्यायोजित किया जाता है।
- सभी लेखा इकाइयों को वित्त वर्ष 2019-20 से लेखा परीक्षा अवधि से संबंधित सीएजी लेखा परीक्षा शुल्क का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

2. पुराने बकायों का समाधान (यदि कोई हो)

- वित्त वर्ष 2019-20 से पहले किसी भी बकाया भुगतान के लिए, लेखा इकाइयों को संबंधित सीएजी कार्यालयों से लंबित स्थिति प्राप्त करनी चाहिए।
- ऐसे लंबित विवरण किसी भी भुगतान को संसाधित करने से पहले समाधान के लिए मुख्यालय को अग्रेषित किए जाने हैं।

सभी लेखा इकाइयों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

निदेशक (वित्त)

सेवा मे,

सभी लेखा इकाइयां